प्रौढ़ शिक्षा

जुलाई–सितम्बर 2018
वर्ष 62 अंक–3

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग
(संरक्षक)

श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
डा. सरोज गर्ग
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी.के.वर्मा
डा. उषा राय
डा. मदन सिंह
श्री एस.सी. खंडेलवाल
श्री राजेन्द्र जोशी

प्रधान संपादक
श्री कैलाश चौधरी

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय

Literacy & Education : Important Indicators of Development

M. Venkaiah Naidu 5

अज्ञानता से लड़ती महिलाओं के बढ़ते कदम
— वीरेन्द्र जैन 9

शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार का अध्ययन
— रूपाली गुप्ता 17

महिला सशक्तीकरण और शिक्षा
— संजुला थानवी 25

बच्चों का आक्रोश और शिक्षण की चुनौती
— जगमोहन सिंह राजपूत 39

हमारे लेखक 40

मूल्यः रूपये 200/–वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं, जिनके लिए संघ एवं सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है ।

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न

दिनांक 26 जून 2018 को 'हमारे यहां सब ठीक चल रहा है' की मुगालते में जी रहा देश अचानक से मुखर हो उठा। कारण कोई बड़ा हादसा या आपदा नहीं बल्कि देश में महिलाओं की हालात पर प्रकाशित एक रिपोर्ट थी जिसने यह घोषणा कर दी कि महिलाओं के रहने की नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया का सबसे खराब देश है। रिपोर्ट थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया जो दुनिया भर से चयनित 548 विशेषज्ञों से महिलाओं से संबंधित विषयों के पर किए गये सर्वेक्षण पर आधारित है। विशेषज्ञों में मुख्य रूप से अनुदान देने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग, गैर–सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी, विकासात्मक गतिविधियों के विशेषज्ञ तथा सामाजिक विषयों के प्रवक्ता शामिल थे। 26 मार्च 2018 से 4 मई 2018 के दौरान किए गए उपरोक्त सर्वेक्षण में अभिमत देने वाले विशेषज्ञों से कुल 6 सवाल पूछे गए थे। उनसें यह पूछा गया था कि बलात्कार, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य देखभाल, भेदभाव, लैंगिक असमानता, सांस्कृतिक परमपराएं, यौन हिंसा, गैर–यौन हिंसा, बाल–विवाह, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर, लिंग आध ारित गर्भपात, महिला जनांनगों की विकृति, बंधुआ मजदूरी तथा जबरन मजदूरी आदि के मद्देनजर सयुंक्त राष्ट्रसंघ के 193 सदस्य देशों में सबसे खतरनाक देश कौन से है?

उक्त रिपोर्ट ने महिलाओं के नजरिए से भारत की स्थिति के बारे में घोषणा करते हुए सन् 2007 से 2016 के बीच महिलाओं पर हुए अत्याचारों से संबंधित पंजीकष्त मामलों से जुड़े सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दशक में भारत में महिलाओं पर हो रहे अपराधों में लगभग 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो शर्मनाक और चौकानें वाला है।

जैसा कि हमेशा से होता आया है इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के साथ ही साथ यह विषय देश भर के संचार माध्यमों पर स्वाभाविक रूप से छा गया। क्या इससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगा? शायद इस प्रश्न का उत्तर सभी हां में ही देंगे। सवाल है कि क्या रोज–रोज सभी समाचार पत्रों में छप रहे छोटी–छोटी बच्चियों के साथ हो रही दरिंदगी तथा हैवानियत को भी शर्मसार करने वाली बलात्कार एवं अत्याचार की घटनाओं से देश की प्रतिष्ठा को ठेस नही पहुंचती? क्या रोजमर्रा की अपनी समस्याओं से जूझ रहे लोग जो शांति की तलाश में तथाकथित स्व–घोषित धर्म गुरूओं का आश्रय लेते हैं और वहां मोक्ष प्राप्ति की ओट में उन्हें हवस का शिकार बना लिया जाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है तब देश की प्रतिष्ठा तार–तार नहीं होती? अभी हाल ही में दिनांक 18 जुलाई 2018

को राज्यसभा में जानकारी देते हुए केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री ने बताया कि सन् 2014 से 2016 के बीच में देश भर में बलात्कार के 1,10,333 मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के कुल 10,07,654 मामले दर्ज किए गए। क्या महिलाओं पर हो रहे इस व्यापक अत्याचार से देश की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती? निश्चित ही इससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। पर सवाल है कि तब समाज एवं सरकार मुखर क्यों नहीं होती?

26 जून 2018 को थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुई और 27 जून 2018 को सरकार की ओर से इस घोषणा की आलोचना के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। यह कहा गया कि भारत को महिलाओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश कहने की घोषणा करना किसी आंकड़े अथवा रिपोर्ट पर नहीं बल्कि एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। सरकार की माने तो देश में समाज एवं सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण महिलाओं के लिए माहौल उत्तरोतर बेहतर हो रहा है।

उदाहरण के लिए भारत में दुष्कर्म की दर प्रति हजार पर 0.03 है, जबकि अमेरिका में यह प्रति हजार पर 1.2 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों, गष्ह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामलों में सन् 2014–15 की तुलना में सन् 2016 में किंचित बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो वस्तुतः पुलिस तक आसानी से पहुंच सकने का परिणाम है। विदित है कि सन् 2016 में दुष्कर्म के 38,947 मामले दर्ज किये गये जबकि सन् 2014 और 2015 में क्रमशः 36,735 और 34,651 मामले दर्ज किये गये थे। तेजाब फेकने के मामले भी गिने चुने हैं।

इसके साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य आयामों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जून 2018 में जारी नमूना पंजीयन सर्वे (एसआरएस) के अनुसार प्रसव के दौरान मातष मष्त्यु दर में 2013 की तुलना में 22 प्रतिशत की कमी आयी है। इसके अलावा जन्म के समय लिंग अनुपात भी बेहतर हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। महिलाओं की आजीविका के लिए लगभग 45.6 लाख स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है और इसके लिए 2 हजार करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। बालिकाओं के वित्तीय समावेश के लिए 'सुकन्या समृद्धि योजना' के तहत 1.26 करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के तहत 'मुद्रा योजना' के अंतर्गत 7.88 करोड़ महिला उद्यमियों को 2,25,904 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। बाल–विवाह की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी आयी है। 0–9 वर्ष की आयु में बाल विवाह की संख्या शून्य है। 15 से 19 वर्ष की आयु सीमा में लड़कियों के मां बनने या गर्भवती होने की संख्या में भी कमी आयी है। यह 2005–06 में 16 प्रतिशत से घटकर 2015 – 16 में 7.9 प्रतिशत हो गयी है।

बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी के मामलों में भी कमी आयी है। मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत मानव तस्करी की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। राज्य सरकारें पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को 33 प्रतिशत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं की सहायता के लिए 193 वनस्टॉप केन्द्र तथा 31 राज्यों में हेल्पलाइन की शुरूआत की गयी है। इन हेल्पलाइनों से महिलाओं को 24 घंटे सहायता व सुझाव प्राप्त होते हैं। तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गयी हैं जो मुस्लिम महिलाओं को समानता का अवसर उपलब्ध करायेगा। माताओं के स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हुआ है। पूरे देश में माताओं को नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि वे गर्भावस्था का पंजीयन कर सकें, अस्पताल में शिशु का जन्म हो और शिशु के जन्म के पहले और बाद उनकी देखभाल हो।

इन प्रयासों से स्थितियां बेहतर हुई हैं। भारतीय महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिलाएं बेहतर स्थिति में हैं। तथ्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश कहना वास्तविकता से परे हैं।

सरकार द्वारा जारी इन आंकड़ों को देखते हुए यह तो नही कहा जा सकता कि देश में महिलाओं को रसातल में भेजने की तैयारी की जा रही है। पर यह भी निश्चित है कि समाज में मानसिक विकार तेजी से बढ़ रहा है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के प्रयास बौने पड़ रहे हैं। ऐसे में महिला अत्याचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का सपना निकट भविष्य में पूरा होता तो नही दिखता। इसके लिए व्यापक मानस परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

– बी. संजय

Literacy & Education : Important Indicators of Development

M. Venkaiah Naidu

"I am happy to be with you today on the occasion of the conferment of Nehru and Tagore Literacy Awards.

I congratulate the Indian Adult Education Association for instituting these awards in the name of two eminent persons whose writings and vision have inspired millions around the world.

I also congratulate all the awardees for their contribution to the development and spread of literacy.

You all know that literacy and education are important indicators of development in a society. Spread and diffusion of literacy is generally associated with essential dimensions of today's civilization such as – modernization, urbanization, industrialization, communication and commerce. They are important inputs in the overall development of individuals enabling them to comprehend their social, political and cultural environment better and respond to it appropriately.

Higher levels of education and literacy lead to a greater awareness and also contributes to improvement of economic conditions. They act as catalysts for social upliftment enhancing the results on investments made in almost every aspect of development effort, be it population control, health, hygiene, environmental degradation control, empowerment of women and weaker sections of the society.

Improved levels of literacy also are pre-requisites of acquiring various skills. It is an indispensable component of human resource development. It is an essential tool for communication and learning, acquiring and sharing information, a pre-condition for individual growth and of national development.

We are living in a world where 'text' dominates in most of today's life contexts. Writing and reading have become indispensable skills for making progress. In fact, literacy is inevitably the foundation for lifelong learning. It is a tool that gives

Address delivered by Shri M. Venkaiah Naidu, Honourable Vice President of India after conferring the Nehru and Tagore Literacy Awards, instituted by the Indian Adult Education Association, in New Delhi on July 30, 2018.

dignity and self-confidence to individuals. It gives greater freedom to participate in society more actively and access better learning and earning opportunities.

It is indeed a glaring gap in world development that one third population of the world is illiterate. In developing countries, one half of the children is denied the opportunity of basic education and these children continue to add to the number of illiterates.

India has made rapid progress over the last seven decades. When India got independence, the literacy rate of the country was 14% with female literacy as low as 8%. With the expansion of education system, the country has tried to ensure universal primary education and literacy. Thanks to these efforts, as per 2011 census, the literacy rate of the country was 73%, with male literacy at 80.9% and female literacy at 64.6%.Today, we have one of the largest education systems in the world with 789 universities and 37,204 colleges and 11,443 stand-alone educational institutions. However, according to the *Human Development Report* (2017), India ranks 131 out of 193 countries and 282 million persons cannot still read and write.

We have adopted a Constitution that has equality and inclusion as key principles. Our government has adopted 'Sabka Sath, Sabka Vikas' as an overarching goal. We are envisioning an inclusive new India. To achieve this, we cannot afford to ignore this huge challenge. We have to recognize that there is a persisting gender gap of 16.3 percent. Clearly, we have to focus much more sharply on women's literacy and gender gaps in literacy and education.

The flagship programme of literacy intended to narrow down this gap and address the challenge of female illiteracy was "Saakshar Bharat Programme" which has concluded in March 2018.

The country should analyze the outcome of the literacy programmes implemented in this country including Saakshar Bharat vis-à-vis the target set at the very beginning in a candid and holistic manner so that all the stakeholders can take-up the remaining task in the days to come in a sustainable way.

We have a set of targets to be achieved under Sustainable Development Goals 2030 (SDGs). Goal 4 of SDG clearly states that we need to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

While the Government is taking the necessary steps to achieve these goals, we must certainly act together, act faster and act with conviction, competence and commitment.

The government, the civil society, the private sector and the media must work together to create a literate society, a knowledge society and a learning society.

I am happy to know that Indian Adult Education Association has always worked shoulder to shoulder with the government to implement the policies and programmes of adult education and hope it will continue to do so.

Sisters and Brothers,

We need to rethink education. We need to review what is taught and how it is taught. The schools and colleges must get transformed into active, vibrant places of learning where students experience the joy of learning. I am saddened by reports that reflect the predominance of rote memorization, lack of learning materials and inadequate attention to different dimensions of learning. There is much more to be done in terms of improving the quality of education.

We must move on from universal functional literacy to skill development and lifelong learning. Learning is a continual process.

Government of India has launched many useful schemes like 'Samagra Shiksha Abhiyan', Skilling India programme, Mudra Yojana and Startup India to facilitate this learning continuum so that adults not only become literate but also engage themselves in gainful employment to improve their quality of life. We need to develop an efficient programme involving all the stakeholders to achieve the goal of building a learning society.

I have been briefed about a recent study report entitled 'State of Youth Volunteering in India- 2017' published jointly by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, United Nations Volunteers (UNV) and United NationsDevelopment Programme (UNDP). It says "India has an unrivalled youth demographic: 65% of its population is 35 years of age or under and by 2020, it is forecasted to become the youngest country in the world, with a median age of 29 years. As 250 million people prepare to join India's workforce by 2030, this group stands to be either India's biggest asset or its biggest vulnerability".

This is a crucial moment in India's developmental journey. We must realize the demographic dividend.

We must focus on the youth and ensure that they have the requisite skills to shape their futures in the knowledge economy of the 21st century. Functional literacy and other skill sets as well as an ability to learn from resources around the world hold the key to making rapid progress.

We need institutions like Indian Adult Education Association to take this movement forward.

Your organization has travelled a long way over many decades and has kept the focus of the country on a vital aspect of national development. I would like you to continue your excellent work with the same grit and determination.

I congratulate the winners of the Nehru and Tagore Literacy Awards and hope they will continue to contribute to the fulfillment of the dreams of the two illustrious sons of modern India in whose names these awards have been instituted.

Pandit Nehru had reminded us all about the labour and the hard work required to "give reality to our dreams" and "to build the noble mansion of free India". His emphasis on science and technology in the early years of independent India and the establishment of national science laboratories in core areas of science all over India and the IITs have helped take India to great heights in technical development. However, he also recognized that education should be holistic and reminded us that "we should accept technology without leaving basic values which are the essence of civilized man". For Pandit ji, the object of education was to "produce a desire to serve the community as a whole and to apply the Knowledge gained not only for personal but for public welfare". Science and education, for him, was tied closely to social development. Gurudev Rabindranath Tagore had also dreamt of a heaven of freedom into which he wanted our country to awake. That heaven of freedom is characterized, by Gurudev, as a place where "the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free". Both these iconic personalities have had similar views on the centrality of human resource development in the architecture of national development. They believed that we should absorb the best from the world but blend it with the best in the Indian tradition as well.

Literacy and education emancipate people. They transform lives. We must ensure that this transformation occurs in every Indian home and that our children, youth and adults emerge into a learning world. All of us must create this New India where all citizens have the basic skills and are given equal opportunities to grow into lifelong learners.

I wish you all, especially the Indian Adult Education Association, all the best in future endeavours.

Jai Hind!"

अज्ञानता से लड़ती महिलाओं के बढ़ते कदम

– वीरेन्द्र जैन

''बिन जाने तै दोष गुनन को कैसे तजिए, गहिए'' दौलतराम जी की यह उक्ति सर्वथा प्रासंगिक प्रतीत होती है, कि यदि किसी वस्तु का ग्रहण अथवा त्याग करना हो तो उसके विषय में समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के कुछ भी कर पाना, निर्णय ले पाना संभव नहीं होता है। इसलिए तो शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। ''शिक्षा, ज्ञान आनंद का वह माध्यम है, जो व्यक्ति को विश्व में प्रतिष्ठित करता है, यह सभी प्रकार की संकीर्ण वृत्तियों को तिरोहित कर, सभी ऐहिक और पारलौकिक रोगों का निवारण करने में सक्षम होती है।[1]'' इसलिए अनादि काल से शिक्षा के विकास एवं संरक्षण के विषय में अनेकों उपक्रम रचे जाते रहे हैं, जिसमें बालक – बालिकाओं से लेकर वृद्धों तक के शिक्षण की संकल्पना एवं सुनियोजित व्यवस्था की जाती रही है।

शिक्षा मनुष्य का वह आभूषण है,[2] जिसे ग्रहण करने से व्यक्ति का भविष्य उन्नत व संस्कारी बन जाता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य विनम्रता, उदारता और सहनशीलता जैसे महान् गुणों को सीखता है।[33]

शिक्षा ही मनुष्य को कर्मठ, महत्त्वाकांक्षी व परिश्रमी बनाती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल आधार है। इससे न केवल मानसिक विकास होता है, अपितु यह व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में भी महती भूमिका निभाती है। परन्तु शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक लम्बे अरसे तक पुरूषों के आधीन ही रहा है। मानव के विकास यात्रा पर गौर करने से पता चलता है कि अनादि काल से ही पुरूषों ने महिला को अपनी चेरी बना रखा है। महिला को मात्र सेवाभावी होकर पति और परिवार की संरक्षिका के रूप में स्वीकार किया गया है। इन सबका कारण वस्तुतः अशिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं में व्याप्त अनभिज्ञता ही रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, ''सकल पदार्थ हैं जगमाहिं, करम हीन नर पावत नाहि''। यह विश्व समस्त सम्पदा का भंड़ार है, परन्तु कर्म से हीन पुरूष और महिला को पूरे जीवन काल में इसमें से एक कण भी नहीं मिलता है। जिन्हे अपने अज्ञान का ज्ञान है, और जो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए उद्यम करते हैं, वे ही इस धरा का भोग करते हैं।[4] इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या पुरूष।

वैदिक काल और महिलाएं

वैदिक काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है, जिसमें साहित्य, व्याकरण, कर्मकाण्ड, न्याय एवं धार्मिक क्षेत्र का जो कार्य हुआ, वह अप्रतिम है। इसमें पुरूषों यथा ऋषि, मुनियों ने सभी कार्यों में बढ़–चढ़ कर योगदान दिया, परन्तु महिला को केवल घर और सेवा सुश्रुषा के लिए ही योग्य माना गया। ''संतानोत्पादन, संतान का पालन–पोषण, अतिथियों तथा मित्रों का सत्कार, लोक व्यवहार का पालन, घर के बड़े बुर्जुगों की सेवा, धार्मिक कृत्यों का संपादन इत्यादि कार्य स्त्रियों के द्वारा किये जाते थे।''[5] मनु ''नारी को कोई अनिच्छित बोझ नहीं समझते, अपितु मनुष्य की सांसारिक एवं आध्यात्मिक अभिलाषाओं की पूर्ति का मुख्य साधन मानते थे।[6] स्त्री को पुरूष की सहधर्मिणी माना जाता था और यह समझा जाता था कि स्त्री के बिना पुरूष का कोई यज्ञ व धार्मिक कृत्य पूरा नहीं हो सकता था।[7] परिवार में पत्नी का मुख्य कार्य घर का प्रबन्धन व बच्चों का लालन–पालन करना था।[8]

इस काल में कुछ महिलाएं ऐसी हुई, जिन्होंने महिलाओं की काल सापेक्ष मर्यादा को बनाया तथा अपने अज्ञान को जानकर, इस भू की साम्राज्ञी बन इतिहास में अमर हो गयी। वैदिक साहित्य पर गौर करें तो आध्यात्मिक ज्ञान के क्षेत्र में बृहस्पति भगिनी, भुवना, अपर्णा, एकपर्णा, एकपाटला, मैना, धारिणी, संमति आदि कन्याओं का उल्लेख आता है। ये सभी ब्रह्मवादिनी थीं। ऐसी कन्याओं का भी उल्लेख आता है, जिन्होंने तपस्या के बल पर अभीष्ट वर की प्राप्ति की, यथा उमा, धर्मव्रता आदि। यही नहीं गृह में निवास करती हुई कन्याएं भी गृहस्थ शिक्षा से अवगत हुआ करती थीं।[9] सदाचारमय गृहस्थ जीवन जीते हुए, यदि पति का देहावसान हो जाता था, तो नवागन्तुक विधवा को सती की सेज पर बैठाना, जिंदा जलना या बाल मुंडवा देना या दूसरी शादी ना करना आदि कई सारी परंपराएं सम्मिलित थी, जिसे नैतिक धर्म और सदाचार माना जाता था, परन्तु इस प्रथा के विरोध के अंश भी इस काल में दिखाई पड़ते हैं।

विधवा पुनर्विवाह की प्रथा का समर्थन

ईसा के 500 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के लिए विधवा को मधु, मांस, मदिरा तथा नमक का त्याग कर, भूमि पर शयन करना पड़ता था। तत्पश्चात् यदि वह पुत्र विहीन होती तो वह घर के बड़ों की सलाह एवं अनुमति से देवर से नियोग कर संतान उत्पन्न कर सकती थी।[10] अर्थववेद में उल्लेखित विधवा विवाह से सिद्ध होता है कि वैदिक समाज में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था तथा वह किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती थी, किन्तु ''नियोग'' प्रथा को पुनर्विवाह की अपेक्षा समाज में अधिक मान्यता दी गयी थी।[11] वैदिक काल में नारी मातृ रूप में देवी के समान पूज्या मानी जाती थी। विशेष रूप से वीर पुत्र की जननी

को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त था।[12] वृद्धावस्था में माता का परिपोषण पुत्र का परम् कर्तव्य था। माता के दुःख के निवारण हेतु पुत्र को अपने प्राणों की चिन्ता नहीं रहती थी।[13]

उपनिषद् काल और महिलाएं

ब्रह्मवादिनी नारियाँ, आध्यात्मिक चिंतन एवं तपस्या प्रधान जीवन जीती थीं। उपनिषद् काल की मैत्रेयी एवं गार्गी इन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैत्रेयी युग के महानतम तत्त्ववेत्ता याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी थी।[14] याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी का संवाद आता है, जिससे मैत्रेयी के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की उच्चावस्था का ज्ञान होता है। गार्गी द्वारा भरी सभा में याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करने का वर्णन भी उपनिषदों में मिलता है। वेद और पुराणों में कुछ ऐसी महिलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, जो अपने अज्ञान को जीतने के लिए तैयार हुए तो जगत् की कोई भी दीवार उनके सामने नहीं आयी। परन्तु उस काल में शिक्षा के विषय में शिक्षाचार्यों के अधीन ही निर्णय लेने की सामर्थ थी। शिक्षाचार्यों के आदेश के बिना किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए शिक्षा जन सामान्य की पहुंच से दूर रही।

मुगल काल और महिलाएं

अकबर ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, पर सामान्य महिलाओं के लिए शिक्षा अति दुर्लभ थी, क्योंकि यह कठोर अनुशासन, बंदिश और पर्दा प्रथा का युग था। उच्च घरानों को अरबी भाषा का धार्मिक साहित्य विशेषकर कुरान की आयतों को कंठगत कराया जाता था। विशिष्ट महिलाओं को ही मदरसों में पढ़ने का अधिकार था। मुगल काल में राजकुमारियाँ, रानियाँ एवं उच्च घरानों की लड़कियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं, जिनमें प्रसिद्ध थीं– गुलबदन बेगम (बाबर की पुत्री), फारसी पद्य लेखिका सलीमा सुल्तान (हुमायूँ की भतीजी), नूरजहाँ, मुमताज महल, जहाँआरा, जेबुन्निसा, दुर्गावती, चाँद बीबी आदि। अकबर की माँ ने पुराने किले में 'खेर–दल–मंजिल' नामक मदरसे की स्थापना करवायी थी। इसका तात्पर्य था कि उसके काल में स्त्री शिक्षा की बहुत कमी थी।

ब्रिटिश काल और महिलाएं

इस काल में भी महिला को शिक्षा से वंचित रखने के सारे प्रयत्न बुद्धिमान लोगों के द्वारा किए गये। फिर भी चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारत में शिक्षा के विकास से सम्बंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था और इसके तहत भारतीय शिक्षा में कुछ करने का उद्यम किया गया। उन्होंने शिक्षा के विकास हेतु कुछ सिफारिशें की, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मील के पत्थर स्थापित किए जा सके यथा,

- जनसाधारण के शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार वहन करे।
- गाँव में देशी भाषाओं में प्राथमिक स्कूल, जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाई हाई स्कूल तथा बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।
- उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल शिक्षा का माध्यम देशी भाषा होनी चाहिए।
- स्त्री शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया तथा तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई।
- निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की गई।
- लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई।
- शिक्षा के धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। इसे भारतीय शिक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है, परन्तु फिर भी शिक्षा की स्थिति दयनीय थी।

स्वतन्त्रता के बाद महिलाएं

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस काल में शिक्षा ने अपने पूर्व निर्धारित दायरे को त्याग करना प्रारंभ किया जिसमें कई दशक लग गये। लेकिन इस दौर में भी कई महिलाओं ने अपने साहस का अदम्य परिचय दिया और शिक्षा के साथ अनेक क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया लिया जैसे –

वाणिज्य – सन् 2013 अक्टूबर–नवंबर में भारत के लगभग आधे बैंकों व वित्त उद्योग की अध्यक्षता महिलाओं के हाथ में थी। अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, की अध्यक्ष रही। इसी प्रकार चंदा कोचर – आईसीआईसीआई बैंक – निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक, रेणु सूद कर्नाड – एचडीएफसी लिमिटेड – भारत की सबसे बड़ी गृह ऋण कंपनी, चित्रा रामकृष्ण – नैशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत के सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, शिखा शर्मा–एक्सिस बैंक, शुभलक्ष्मी पणसे – इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया, विजयलक्ष्मी अय्यर – बैंक ऑफ इंडिया, अर्चना भार्गव – यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, नैना लाल किदवई – एचएसबीसीभारत, कल्पना मोरपारिया – जे पी मोर्गन, काकू नखाते – बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, भारत के शीर्ष पर हैं। उषा सांगवान भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एल आई सी की प्रबंध निदेशक नियुक्त हुईं। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में भी दो महिलाओं यथा इला भट्ट व इंदिरा राजारमन को स्थान प्राप्त है।

खेल कूद एवं कला – भारत में सामान्य खेल परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। बावजूद इसके कुछ भारतीय महिलाओं ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में पी.टी. उषा, जे. जे. शोभा (एथलेटिक्स), कुंजरानी देवी

(भारोत्तोलन), डायना एडल्जी (क्रिकेट), साइना नेहवाल (बैडमिंटन), कोनेरू हम्पी (शतरंज) और सानिया मिर्जा (टेनिस) शामिल हैं। कर्णम मल्लेश्वरी (भारोत्तोलक) ओलंपिक पदक (वर्षा 2000 में कांस्य पदक) जीतने वाली भारतीय महिला हैं।

साहित्य लेखन कला – भारतीय साहित्य में कई महिलाएं सुप्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री और कथा–लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इनमें से कुछ मशहूर नाम हैं सरोजिनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार (मैन बुकर प्राइज) से सम्मानित किया गया था।

कला और मनोरंजन – एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, अलका याज्ञनिक, श्रेया घोषाल आदि जैसी गायिकाएं एवं वोकलिस्ट और रीता फरिया, मुमताज, वहिदा रहमान, आशा पारेख, रेखा, ऐश्वर्या राय, सुषमिता सेन, काजोल, करिश्मा, करीना कपूर, प्रियंका चौपडा, जैसी अभिनेत्रियों को भारत में काफी सम्मान दिया जाता है। आंजोली इला मेनन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं।

राजनीति – भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। 41, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं। हालांकि विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

जुलाई, 1995 से जनवरी, 1997 तक किए गए, एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार इन दो वर्षों में हुए 179 देशों के चुनावों में महिला सांसदों की संख्या में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। दुनिया भर की व्यवस्थापिकाओं में महिलाओं की भागीदारी 1988 में सर्वाधिक 14.8 प्रतिशत आंकी गई। जहाँ अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों में भी स्थिति अच्छी नहीं है, वहीं कुछ लेटिन अमेरिकी व दक्षिण अफ्रीकी तथा पश्चिमी एशियाई देशों में व्यवस्थापिका में एक भी महिला को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था।'[15]

महिलाओं के संरक्षण हेतु कानून

'स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में नारी के उत्थान व उसकी सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों की सूची निम्नलिखित है –

- दहेज प्रतिबंध अधिनियम – 1961
- भरण–पोषण संबंधी कानून – 1956
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम –1956
- मातृत्व लाभ अधिनियम – 1961
- हिन्दू अव्यस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम – 1956
- विधवा पुनर्विवाह अधिनियम – 1856
- सती निरोधक कानून –1987
- समान पारिश्रमिक अधिनियम – 1976
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम – 1955
- पंचायती राज अधिनियम – 1992
- परिवार न्यायालय अधिनियम – 1984
- मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम – 1939
- बाल विवाह अवरोध अधिनियम – 1929
- अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम – 1956
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम – 2005
- स्त्री अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम – 1986
- कारागार अधिनियम – 1894
- प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम – 1994
- मानवाधिकार संरक्षण कानून – 1993

भारत में महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं, या यो कहे कि उन्होंने अपने अज्ञान का ज्ञान किया जिसके कारण वे हर किसी के लिए मिसाल हैं। वैसे तो भारत में अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन उपरोक्त कुछ ऐसी प्रभावशाली महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति, खेल, व्यापार, लेखन, समाजसेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

पिछले दो दशकों में महिलाओं की प्रगति से संबंधित कई नए आयाम उभरकर आए हैं। अब वे इलेक्ट्रानिक्स, टेली कम्युनिकेशन, कम्प्यूटर, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र के उद्योगों, विधि व चिकित्सा सेवाओं, प्रशासिक सेवाओं तथा अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवसायों में भाग ले रहीं हैं। कार्पोरेट जगत में भारतीय महिलाओं ने अपनी उपस्थिति विश्व स्तर पर दर्ज की है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते वर्चस्व को निम्न बिन्दुओं से देखा जा सकता हैः

- 60 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिसका देश के जीडीपी में 18 प्रतिशत योगदान है।

- देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जबकि अमेरिका में इसमें कमी आई है। दस सालों में देश की शहरी कामकाजी महिलाओं की औसत आय दोगुनी हुई है।
- आईटी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 60 प्रतिशत महिलाएं बढ़ी हैं। साफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुल 30 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जिनका वेतन पुरूष साथियों से अधिक है।
- जिन कंपनियों के हेड भारतीय महिलाएं हैं, उन्होंने 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- सीईओ के कुल पदों में 11 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- भारतीय कंपनियों में शीर्ष पदों पर 14 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो पिछले वर्ष 9 प्रतिशत थी, यद्यपि विश्व में यह आँकड़ा 21 प्रतिशत है।
- तीन ऑर्म्ड फोर्सेस में 8 प्रतिशत महिला अफसर हैं।
- देश की साफ्टवेयर कंपनियों में एक तिहाई महिलाएं हैं।
- देश के कुल पायलटों में 12 प्रतिशत महिला पायलट हैं, यह ग्लोबल औसत का दुगुना है।

भारतीय महिलाएं अब सिर्फ सहायिका नहीं हैं। अच्छी शिक्षा, सहज करियर, ग्लैमर और स्वतंत्र आमदनी से जुड़ी सुविधाएं सभी कुछ है, उनके पास। पहले जिन कार्यो के संपादन में वे असहज महसूस करती थीं, आज वहाँ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुकी हैं, फिर चाहे वह सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक। इनकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरक है। आई. टी. और साफ्टवेयर कंपनियों में महिलाओं की मौजूदगी सबसे ज्यादा है। कंपनियों में सीईओ पद पर महिलाओं का वर्चस्व बढ़ी है। बीते एक दशक में आई.आई.टी, और आई.आई.एम. में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ी है। मेडिकल, साइंस और टेक्नोलाजी में भी ये दमदार प्रतिस्पर्धा से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहीं है। स्पष्ट है भारत के भविष्य को रचने की जिम्मेदारी इन महिलाओं ने बखूबी संभाल रखी है और नए प्रतिमान गढ़ते हुए लक्ष्य को साध रही हैं और जीत का पर्याय बन, भारत को रोशन कर रही हैं।

संदर्भ

1. ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण।
   यह परमामृत जन्म, जरा, मृत रोग निवारण।।
   – पं. दौलतराम जी, छहढाला, चतुर्थ ढाल

2. विद्याधन सर्व धनं प्रधानम्। – नीतिशतक, भतृहरि द्वारा रचित।

3. विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्।
   पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्।। – हितोपदेशम्

4. वीरभोग्य वसुन्धरा'

5. उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम।
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्री निबंधनम।। – मनुस्मृति 9-27-28

6. डॉ. लता सिंहल, ''भारतीय संस्कृति में नारी'', पृष्ठ 233।
7. सत्यकेतु विद्यालंकार, ''प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन'', पृष्ठ 207।
8. शर्मा व्यास, ''भारत का इतिहास'', प्रारम्भ से 1200 ईस्वी तक, पृष्ठ 114।
9. अथर्व वेद. 11/5/14।
10. बौद्धायन धर्मसूत्र 2/2/66–68, डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र, ''प्राचीन भारत में नारी'', पृष्ठ 12।
11. डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र, ''प्राचीन भारत में नारी'', पृष्ठ 13।
12. डॉ. शशि अवस्थी, ''प्राचीन भारतीय समाज'', पृष्ठ 144।
13. जातक 3, पृष्ठ 137, विमल चन्द्र पाण्डेय, ''भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास'', पृष्ठ 188।
14. वृहदारण्यक उपनिषद् 2/4।
15. इंदु पाठक (मार्च 2007)–''राजनीतिक सहभागिता व महिला सशक्तीकरण'' कुरूक्षेत्र वर्ष 53 अंक–5 पृष्ठ क्रमांक–27।

''हम सब थोड़ी–बहुत चोरी जाने–अनजाने करते हैं। दूसरे की चीज को बिना आज्ञा ले लेना चोरी है। मनुष्य कभी–कभी अपनी चीज की भी चोरी करता है। जैसे–बच्चे को बताए बिना कोई बाप गुपचुप कोई चीज खा ले। आश्रम का भण्डार हमारा अपना है, पर उसमें से एक गुड़ की डली लेनेवाला भी चोर है। किसी की कलम लेकर लिखने वाला लड़का भी चोर है। यहां तक कि राह में पड़ी समझकर ली गई चीज भी चोरी की चीज है। सड़क पर पड़ी चीज के आप स्वामी नहीं, बल्कि सरकार स्वामी है। उसमें भी चोरी है। इसलिए चोरी छोटी हो या बड़ी, उससे बचना चाहिए।''

– महात्मा गांधी

शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार का अध्ययन

– रूपाली गुप्ता

प्रस्तुत शोध पत्र ''शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार का अध्ययन'' से सम्बन्धित है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार का अध्ययन करना तथा माताओं के कार्यव्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जनपद के शहरी क्षेत्र में से 80 माताओं को यादृच्छिक विधि द्वारा चयनित कर अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन के आधार पर पाया गया कि अधिकांश शहरी माताएं विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार में सक्रिय रहती हैं और शिक्षा तथा पारिवारिक आय का उनके कार्य व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है ।

स्वास्थ्य का अर्थ रोगमुक्त या स्वस्थ शरीर से है जिसका शरीर बिना थके कार्य कर सकता है, मेहनत–मजदूरी कर सकता है, चल–फिर सकता है और जिसकी इन्द्रियां तथा मन स्वस्थ है वह व्यक्ति ही निरोगी या तन्दुरूस्त कहलाता है। अर्थात् कह सकते हैं कि 'एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।' किन्तु स्वस्थ शरीर पोषणयुक्त समुचित और संतुलित आहार के बिना असंभव है। उचित पोषाहार, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में विशेष कार्य करता है। वस्तुतः भोजन मनुष्य को न केवल स्वस्थ और जीवित रखने के लिए ही आवश्यक है अपितु यह मनुष्य को विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा और शक्ति भी प्रदान करता है। अतः यह कह सकते हैं कि जीवित रहने के साथ–साथ शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है।

विश्व का हर व्यक्ति सुखी और दीर्घ जीवन चाहता है। स्वस्थ, सुखी और दीर्घ जीवन के लिए संतुलित आहार एवं उसका समुचित पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम पोषण के लिए पौष्टिक आहार एक बुनियादी अंग है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार एवं उचित पोषण की आवश्यकता होती है अर्थात् पोषण जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शिशुओं और विद्यालय पूर्व बालकों के संदर्भ में स्वास्थ्य एवं पोषण की दशाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आज के बच्चे कल के भावी नागरिक हैं। शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर वर्तमान व्यय और ध्यान केन्द्रित करना समर्थ मानव संसाधन के क्षेत्र में दीर्घकालीन निवेश है। अतः शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान देना आवश्यक होता है। स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था पूर्व विद्यालयी अवस्था अथवा पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। इस समय शिशु शैशवावस्था को छोड़कर बाल्यावस्था में प्रवेश

करता है। विद्यालय पूर्व अवस्था बालक के विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बच्चों का स्वास्थ्य एवं विकास पौष्टिक आहार एवं उचित पोषण पर निर्भर करता है। बच्चों का स्वास्थ्य गर्भकालीन अवस्था से ही प्रभावित होता है। यदि गर्भवती महिला अपने आहार एवं पोषण पर विशेष ध्यान देती है तो जन्म लेने वाला शिशु भी स्वस्थ होता है और वह जन्म के बाद अपने बाह्य वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है।

एक स्वस्थ शिशु का संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास तो होता ही है, साथ–साथ उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। उसका जीवनकाल भी अल्पपोषित एवं रोगमुक्त बच्चों से अधिक होता है। यह सब तभी संभव है जब मॉ अपने बच्चे के प्रति जागरूक और सक्रिय हो और बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी बातों का भी ध्यान रखे और इन सभी बातों को अपने कार्यव्यवहार में भी सम्मिलित करे। यद्यपि बच्चा माता–पिता दोनों की जिम्मेदारी है किन्तु बाल्यकाल में बच्चा पिता से अधिक माता के सम्पर्क और सानिध्य में रहता है। अतः बच्चे के खान–पान, टीकाकरण, स्वच्छता, विश्राम एवं रोगों से बचाव हेतु माता को अधिक सक्रिय होना आवश्यक है।

उचित पोषण न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और विकास पर अपितु सम्पूर्ण मानव जाति के स्वास्थ्य, विकास एवं उत्पादन क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, अतः इससे होने वाला अच्छा असर दूरदराज तक देखा जा सकता है। उचित पोषण, मानव कल्याण की कुंजी है परन्तु आज भी दुनिया भर में बहुत से लोग कुपोषण से ग्रस्त हैं। कुपोषण एक जटिल समस्या है। अगर हम बच्चों में ही देखें तो खासतौर पर छोटे बच्चों में कुपोषण सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 35.7 प्रतिशत बच्चों में कुपोषण के कारण शारीरिक वजन की कमी और करीबन 38.4 प्रतिशत में कद–काठी की कमी और अत्यधिक कुपोषण के कारण 21 प्रतिशत बच्चों में वजन एवं कद–काठी दोनों की ही कमी पाई गई है। इनके अतिरिक्त लगभग 58. 4 प्रतिशत बच्चों में अनीमिया (आयु 6–58 माह, हिमोग्लोबिन स्तर 11.0 ग्राम/डैसिलीटर) रिपोर्ट किया गया।

1 जनू 2017 को जारी 'अन्तर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस' पर अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'सेव द चिल्ड्रन' की रिपोर्ट 'स्टोलन चाइल्डहुड' में बताया गया है कि भारत में चार करोड़ बयासी लाख बच्चों की शारीरिक वृद्धि कुपोषण के कारण रूक गई है। ऐसे बच्चों को वृद्धिरूद्ध या स्टंटेड चाइल्ड कहा जाता है। ऐसे बच्चे स्कूल में देर से प्रवेश ले पाते हैं, निम्न स्तर तक पढ़ाई करते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं करते। इससे उनकी उत्पादकता और कमाई कर पाने की क्षमता कम तथा व्यस्त जीवन में भागीदारी कमजोर होती है जो कि देश की प्रगति को प्रभावित करती है।

जन्म के समय भारतीय बच्चों की सामान्य ऊंचाई और वजन भी स्वस्थ और सुपोषित समुदायों के मुकाबले कम होता है। बच्चों के पोषण की यह स्थिति जन्म के बाद पहले दो वर्षो में ही बिगड़ जाती है। इसके कारण उनका विकास रूक जाता है। एन.एफ.एच.एस.–4 के अनुसार देश में 6 से 23 महीन के बच्चों की आयु के केवल 9.6 फीसदी बच्चों को ही पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है। इन बच्चों में भी शहरी बच्चों का प्रतिशत 11.6 है और ग्रामीण बच्चों का 8.8। 24 महीने के होते–होते आधे बच्चे वृद्धिरूद्ध (स्टंटेड) हो जाते हैं। यह बेहद चिन्ता का विषय है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.–4) के अनुसार पांच साल से कम आयु के 38.4 फीसदी बच्चे विकासरूद्ध (स्टंटेड) हैं। इनमें शहरी बच्चों का प्रतिशत 31.0 और ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत 41.2 है। इनमें से एक चौथाई बुरी तरह विकासरूद्ध (सीवियरली स्टंटेड) है। इसके प्रमुख कारण हैं पौष्टिक आहार का अत्यधिक अभाव। इन बच्चों का वजन अपने कद की तुलना में काफी कम है। पांच में एक बच्चा बर्बाद (वेस्टेड) है यानि वह सीवियर मॉलन्यूट्रिशन (कुपोषण) के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से कहीं नीचे है। ये तथ्य तब और भयावह होते हैं जब पता लगता है कि दुनिया के सबसे गरीब इलाके सब–सहारा अफ्रीका में स्टंटिंग और वेस्टिंग भारत के मुकाबले कम है।

भारत में बच्चों का स्वास्थ्य स्तर पाकिस्तान, इथोपिया एवं नाइजीरिया जैसे छोटे देशों से भी खराब है। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान वॉटरएड के द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट कॉटशर्ट के अनुसार देश के हर पांच बच्चों में से दो बच्चों के अल्प विकसित होने के सबसे बड़े कारणों में अशुद्ध पेयजल और शौचालयों का अभाव बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 6. 5 करोड़ से अधिक लोग अशुद्ध पेयजल का उपयोग करते हैं एवं 2.3 अरब लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है।

शिशुओं एवं पूर्व विद्यालयी बालकों के पोषण स्तर में सुधार करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों के साथ–साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी अग्रसर हैं। कुपोषण का कुप्रभाव जनसंख्या के अतिसंवेदनशील समूह को सर्वाधिक प्रभावित करता है। कुपोषण से विशेष कर गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं तथा बच्चे ग्रसित होते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने एवं कुपोषण को दूर करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्तमान में अनेक कार्यक्रम जैसे समेकित बाल विकास योजना (ICDS), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), पल्स पोलियो अभियान, सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम आदि संचालित किये जा रहे हैं। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत उठाए गए कदम बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं व संगठनों के सहयोग से एक सीमा तक बाल मृत्युदर तथा कुपोषण में कमी हुई है। लेकिन यह अपने लक्ष्य से अभी भी दूर है जिसे पूरा किया जाना है। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं तथा उपयुक्त सेवाओं की कमी के अतिरिक्त अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, कुप्रथाएं व रूढ़ियां, निर्धनता एवं धार्मिक और साम्प्रदायिक मान्यताएं भी बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करती हैं। धर्म व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। अतः जब तक लोगों और विशेषकर करोड़ों माताओं की मनोवृत्ति तथा सोचने के तौर तरीकों, विचारों तथा कार्यव्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा तब तक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत इस लक्ष्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार जनपद में किए गए इस अध्ययन में शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यव्यवहार को जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति कितनी जागरूक हैं और वे उनके बेहतर स्वास्थ्य के प्रति कितनी क्रियाशील हैं? क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां तथा भौगौलिक दशाएं पृथक–पृथक रूप से माताओं के शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सोच तथा पोषण को न्यूनाधिक तौर पर प्रभावित करते हैं? क्या उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर उनके शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार को प्रभावित करता है? स्पष्ट है कि इन तथ्यों को ज्ञात करने पर माताओं के विद्यालय पूर्व शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण पर उनकी शिक्षा तथा उनकी पारिवारिक परिस्थितियां कितना प्रभाव डालती हैं इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

अध्ययन के उद्देश्य

1. शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार का अध्ययन करना।
2. शहरी क्षेत्रों की माताओं में विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन के लिए सोद्देश्य यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन के लिए उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के शहरी क्षेत्र में चार वार्ड तथा प्रत्येक वार्ड से 20 ऐसी माताओं का चयन किया गया जिनकी आयु 18–35 वर्ष तथा जिनके 1–3 वर्ष

के शिशु हों। इस तरह प्रस्तुत अध्ययन में 1–3 वर्ष के बच्चों की कुल 80 माताओं को सम्मिलित किया गया। क्षेत्र में आंकड़ों के संग्रह के लिए शोधार्थी द्वारा स्वविकसित और निर्मित की गयी प्रश्नावली का उपयोग किया गया। संकलित आंकड़ों को श्रेणीबद्ध एवं व्यवस्थित करके सारणीयन के पश्चात उनका विश्लेषण किया गया जिसमें साधारण प्रतिशत के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये। प्रस्तुत अध्ययन हेतु संकलित आंकड़ो का विश्लेषण इस प्रकार है –

शहरी माताओं में विद्यालय पूर्व शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार

N=80

क्र0 सं0	कार्यव्यवहार	उत्तरदाताओं की संख्या			
		हाँ		नहीं	
		सं.	प्र	सं.	प्र
1.	जन्म के तुरन्त बाद शिशु को स्तनपान कराना।	76	95	4	5
2.	शिशुओं को ऊपरी दूध पिलाना।	72	90	8	10
3.	शिशु के आहार में उसकी आयु के अनुसार पोषक तत्वों को सम्मिलित करना।	68	85	12	15
4.	सुपोषण हेतु शिशुओं को पूरक आहार देना।	72	92	8	10
5.	शिशु को पानी उबालकर/फिल्टर कर पिलाना।	64	80	16	20
6.	शिशु को भोजन कराने से पहले हाथों को साबुन से धोना।	64	80	16	20
7.	शिशु के दूध पीने के बर्तन को साफ रखना।	60	75	20	25
8.	शिशु की शारीरिक व आहारीय स्वच्छता रखना।	60	75	20	25
9.	यथासमय शिशुओं का टीकाकरण कराना।	76	95	45	
10.	सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करना।	68	85	12	15

सारणी में प्रदर्शित तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश 75 से 95 प्रतिशत शहरी माताएं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धी सभी प्रकार के कार्यव्यवहार में सक्रिय पायी गयी। 5 से 25 प्रतिशत शहरी माताएं ही शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार में निष्क्रिय थीं।

शहरी माताओं के शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार पर शिक्षा का प्रभाव

N = 80

क्र. सं	शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या		योग
		सक्रिय (%)	निष्क्रिय (%)	
1.	निरक्षर	50	50	100
2.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक	88.89	11.11	100
3.	हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट	81.82	18.18	100
4.	उच्च शिक्षित	100	—	100
	औसत	80.18	19.82	100

(प्रत्येक का औसत प्रतिशत दिया गया है)

उपरोक्त सारणी में प्रदर्शित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 100 प्रतिशत उच्च शिक्षित शहरी माताएं विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार के प्रति सक्रिय थीं, तत्पश्चात् 88.89 प्रतिशत प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, 81.82 प्रतिशत हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट तथा मात्र 50 प्रतिशत निरक्षर माताएं इस सम्बन्ध में सक्रिय पायी गयीं।

शहरी माताओं के शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार पर पारिवारिक आय का प्रभाव

N = 80

क्र. सं.	पारिवारिक आय (मासिक)	उत्तरदाताओं की संख्या		
		सक्रिय (%)	निष्क्रिय (%)	योग (%)
1.	5000—10000	66.67	33.33	100
2.	10000—15000	80	20	100
3.	15000—20000	69.23	30.77	100
4.	20000—30000	100	—	100
	औसत	78.98	21.02	100

(प्रत्येक में औसत प्रतिशत में दिया गया है)

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 20000 से 25000 रुपये मासिक आय वर्ग की शत प्रतिशत शहरी माताएं विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार के प्रति सक्रिय थीं। इसी प्रकार 10000 से 15000 रुपये मासिक आय वर्ग की 80 प्रतिशत माताएं इस सम्बन्ध में सक्रिय देखी गयी। जबकि 15000 से 20000 रुपये मासिक आयवर्ग की 69. 23 प्रतिशत तथा 5000 से 10000 रुपये मासिक आय वर्ग की 66.67 माताएं शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषणी सम्बन्धी कार्यव्यवहार के प्रति सक्रिय पायी गयी।

निष्कर्ष

अधिकांश शहरी माताएं विद्यालय पूर्व शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति सकारात्मक और सक्रिय व्यवहार रखती हैं। शिशुओं को जन्म से ही स्तनपान, समय से पूरक आहार, व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छता, सम्पूर्ण टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के प्रति माताओं में अत्यधिक सक्रियता पायी गयी। ऐसी सक्रिय व्यवहार रखने वाली 85, 90 तथा 95 प्रतिशत माताओं की संख्या इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

शहरी माताओं में शिक्षा स्तर के बढ़ते क्रम का शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी उनके कार्यव्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरी माताओं में शिक्षा का स्तर बढने के साथ–साथ उनकी व्यवहारिक सक्रियता भी बढ़ती प्रतीत हो रही है। शिक्षा वृद्धि से उनका ज्ञान बढ़ा है जिस कारण उनकी जानकारी एवं जागरूकता में वृद्धि हुई है। परिणामतः वे अपने शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति सक्रिय पायी गयी।

शहरी माताओं की पारिवारिक (मासिक) आय के बढ़ते क्रम का शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी उनके कार्यव्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक आय बढ़ने से वे उन संसाधनों और सुविधाओं को सरलता से जुटा पाती हैं, जो शिशु पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार को सक्रिय एवं उन्नत बनाने में सहायक होते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रचार–प्रसार के माध्यमों के द्वारा माताएं स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सजग बन रही हैं तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति संवदेनशील व शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बन्धित वस्तुओं को जुटाने में भी समर्थ हो रही हैं। संभवतः इन्हीं सहायक कारकों के फलस्वरूप वे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार में सक्रिय पायी गयीं।

उक्त कारकों के अतिरिक्त शहरी माताओं में शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी कार्यव्यवहार में परिवर्तन आने के कई अन्य कारण भी हैं यथा शहरी वातावरण, आधारभूत सुविधाएं, यातायात के साधनों की उपलब्धता, संचार–सूचना माध्यमों की प्रभावशीलता एवं

विस्तार, रूढिवादी विचारधारा का पतन, अधिकाधिक स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विस्तारीकरण।

संदर्भ

1. कुरूक्षेत्र, मार्च – 2015, प्रकाशन – नई दिल्ली, पृ 33–35।
2. कुरूक्षेत्र, जुलाई – 2017, प्रकाशन – नई दिल्ली, पृ 32–35।
3. जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वृन्दा सिंह, पृष्ठ सं. 2, दसवां संस्करण 2012, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
4. जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, डॉ. प्रीति बेरा, हल्द्वानी, नैनीताल।
5. ''इन्टरनेशनल जनरल ऑफ सोसयल इकोनोमिक'', वॉल्यूम 33, पब्लिशिंग – इमिरल्ड ग्रुप आई.एस.एस.–2, पी.पी. 111–131।

बापू के अनुभवों का निचोड़

ये नियम गांधीजी के जीवन भर के अनुभवों के निचोड़ हैं। गांधीजी स्वयं भी इन नियमों का पालन किया करते थे –

1. कम बोलना चाहिए।
2. सुनो सब की अपनाओ सत्य को ही।
3. जीवन के प्रत्येक क्षण का हिसाब रखो। जिस काम के लिए जो समय निश्चित है, उसमें ही वह काम करो।
4. निर्धनों की भांति सदा जीवन बिताओ। धनी होकर भी धन का अभिमान न करो।
5. पाई–पाई के खर्च का ब्यौरा रखो।
6. केवल अच्छी पुस्तकें पढ़ो। जो पढ़ो उसे विचारों भी।
7. प्रतिदिन नियमपूर्वक व्यायाम करो।
8. डायरी लिखने का अभ्यास बनाओ।
9. अपने स्वभाव को अपने वश में रखों।

महिला सशक्तीकरण और शिक्षा

– संजुला थानवी

''यह कहना गलत नहीं होगा कि बिन शिक्षा के मानव एक पशु से बहुत अलग नहीं है, इसलिए शिक्षा स्त्री के लिए भी उतनी ही जरूरी है, जितनी पुरूषों के लिए।''

– महात्मा गांधी

वास्तव में शिक्षा एक साधन है, सशक्तीकरण का एक माध्यम है, जिसके द्वारा अन्याय, शोषण तथा अशिक्षा के विरूद्ध चेतना जागृत होती है। व्यक्ति अपने अधिकारों और अस्तित्व के प्रति जागरूक होता है। वह अपनी सर्वांगीण विकास कर सकता है। यह बात पुरूषों के साथ–साथ स्त्रियों पर भी समान रूप से लागू होता है। किसी भी समाज की प्रगति और विकास में दोनों की समान भूमिका होती है, लेकिन पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए शिक्षा का ज्यादा महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक पुरूष ही शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, आने वाली पीढ़ी होती है और इस प्रकार देश का भविष्य शिक्षित होता है।

किसी समाज की प्रगति को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस समाज की स्त्रियों की स्थिति एवं विकास का मूल्यांकन किया जाए। वास्तव में समाज में स्त्रियों की उन्नति और विकास ही समाज की प्रगति का सूचकांक सिद्ध होता है। जो समाज अपने सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रणाली में स्त्रियों को यथोचित, मानवोचित स्वतंत्रता एवं विकास के अवसर प्रदान करता है, वह समाज उतना ही प्रगतिशील माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने भी यह कह कर स्त्री शिक्षा का महत्व दर्शाया था, कि ''स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठाक मापा जा सकता है।'' यद्यपि भारतीय परिवेश में भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण वहां के सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक अंतर देखा जा सकता है, किंतु समाज का व्यावहारिक अध्ययन शिक्षा के बिना पूर्ण नहीं होता और शिक्षा के माध्यम से ही उनके परिवर्तित और विकासात्मक दृष्टिकोण को जाना जा सकता है।'

स्त्रियों को साक्षर करने की आवश्यकता सदा से ही अनुभव की जाती रही है। वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखती थीं, किंतु उत्तर वैदिक तथा मध्ययुग में नारी शिक्षा की सीमा प्रतिबंधित होने लगी थी, जिसके कारण समाज में स्त्रियों की प्रगति में ठहराव सा आ गया। आधुनिक युग में स्त्री साक्षरता की धारणा को पुनः बल मिला, जो वैचारिक क्रांति के फलस्वरूप संभव हुआ था।

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का पुनः विकास हुआ। कुछ भारतीयों ने विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण की और भारत की असाक्षर जनता को साक्षर करने की आवश्यकता अनुभव की। व्यक्तियों ने नारी की दयनीय स्थिति देख उन्हें सशक्त और शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। इस समय जनता का नेतृत्व करने वाले लोगों ने ही यह दायित्व संभाला। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह और सती प्रथा को बंद करवाया। इन कुप्रथाओं के दूर होने से नारी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सेवकों के सहयोग ने बंगाल में स्त्री शिक्षा के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

स्वयं ब्रिटिश लोग भी भारतीय नारी की दयनीय दशा देख उनके प्रति सहानुभूति रखते थे और ऐसे प्रयास उसी मानवीय पक्ष के परिणाम थे। शिक्षा मात्र पढ़ने–लिखने के लिए ही नहीं, अपितु सामाजिक जीवन में भी बहुत आवश्यक होती है। यह बात भारतीय समाज की समझ में आ चुकी थी। स्त्री शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और गृहोपयोगी बनाने के उददेश्य से 1926 में एक अखिल भारतीय नारी सम्मेलन हुआ और परिणामस्वरूप दिल्ली में लेडी इर्विन कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका समस्त प्रबंधन स्त्रियां ही देखती थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के राजनैतिक उथल–पुथल भरे माहौल में भी स्त्री शिक्षा में निरंतर वृद्धि होती रही। स्वतंत्रता के पश्चात भी नारी शिक्षा में निरंतर प्रगति होती रही।

स्त्रियों में साक्षरता के प्रति उदासीनता का सबसे बड़ा कारण रूढ़िवादिता रहा है। आज भी ग्रामीण अंचलों एव निचले तबकों में लड़का–लड़की भेदभाव बरता जाता है। उनका मानना है कि लड़कियों को यदि विवाह के बाद भी घर–परिवार और बच्चे ही संभालने हैं तो उनकी शिक्षा पर व्यय करना व्यर्थ है। सामाजिक सक्रियता के अभाव में लड़कियां भी इस सोच में शामिल हो जाती हैं और पढ़ाई के प्रति जागरूकता और मार्गदर्शन के अभाव में वे शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हो पाती। दरअसल पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों के प्रति ऐसा होना स्वाभाविक है। पुरुष स्वभावतः स्त्रियों में स्वतंत्र चेतना के विकास के विरूद्ध होते हैं, इसलिए महिला सशक्तीकरण के प्रयासों पर प्रतिबंध लगाते हैंः किंतु पुरूष और स्त्री को जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए माना जाता है, जिनमें सम्यक संतुलन एवं सामंजस्य आवश्यक है।

किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास आदि में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि महिलाओं को आधी आबादी कहा गया है। पर, निरक्षरता के अभाव में आधी आबादी देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाती है। यह तो सर्वविदित है कि विकास के चरण में महिला सशक्तीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके बिना विकास की परिकल्पना को पूर्णरूपेण साकार नहीं किया जा सकता है। विकास की धारा में महिला सशक्तीकरण को जोड़ने का आशय स्त्री जाति के पूर्ण रूप से शिक्षित होने से है। निरक्षरता का प्रभाव स्त्री के समग्र जीवन पर पड़ता है। किंतु साक्षर होने के पश्चात वह आर्थिक और रोजग़ारोन्मुख कार्यक्रमों से भी सहज ही जुड़ जाती है जो उसे

आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के साथ–साथ उसके परिवार के आर्थिक स्तर को भी ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होता है। एक शिक्षित स्त्री ही विचारों के आर्थिक स्तर को भी ऊपर उठाने में सहायक होती है। शिक्षित स्त्री ही विचारों के आदान–प्रदान से अपने और समस्त नारी जाति के व्यक्तिव को सशक्त बनाती है।

शिक्षा आर्थिक स्वतंत्रता के साथ–साथ वैचारिक जागरूकता भी देती है, उसे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करती है। साक्षरता कल्पना को उद्‌बुद्ध करती है, संवेदना में विस्तार करती है और प्रगति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। ऐसे में उनमें अपनी पहचान के प्रति चेतना पैदा होती है और वे आत्मविश्वास से भरपूर होकर स्वावलंबी बन सकती हैं।

सामाजिक जीवन में परिवार, शिक्षा और विवाह अत्यंत प्राचीन तथा मौलिक संस्थाएं मानी जाती हैं, जिन पर सामाजिक और जीवन के अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव भी पड़ता है। इनके साथ–साथ व्यवसाय, रोजगार, समानता, स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रभाव भी पुरूष और स्त्री के जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही स्त्रियों के प्रति पुरूषों और समाज का दृष्टिकोण भी उसके विकास पर प्रभाव डालता है।

आज की स्त्री भली प्रकार से अपने विकास के प्रति जागरूक होने लगी है, किंतु सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्त्री विकासवादी दृष्टिकोण तथा आंदोलन की आवश्यकता अनुभव की जाती हैं। स्त्री सशक्तीकरण को शिक्षा के माध्यम से तेज करने के प्रयास शहरों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य स्त्री को शिक्षित कर उसे सशक्त बनाना है, ताकि वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना सके और देश के विकास की मुख्यधारा में अपना योगदान दे सकें, अपने परिवार को शिक्षित कर सकें और आवश्यकतानुसार उसे आर्थिक संबल प्रदान कर सकें।

स्वतंत्रता के पश्चात स्त्री साक्षरता की दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए हैं। संविधान द्वारा स्त्रियों को पुरूषों के समान ही शिक्षा के अवसर का अधिकार प्रदान किया गया। प्राथमिक शिक्षा से ले कर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक को महिला विकास के दृष्टिगत रखकर बनाया गया। इस दिशा में सरकारी तंत्र के साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई और ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, महिला मंडल, पंचायत और सामुदायिक केन्द्रों के माध्यम से स्त्रियों को शिक्षित करने के प्रयास किए गए। किंतु अथक प्रयासों के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 52 प्रतिशत थी, जिनमें केवल 39.23 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं।

अधिकांश गरीब महिलाएं ऐसी परिस्थितियों में रहती हैं, जो उनकी शिक्षा प्राप्ति में बाधक बनती हैं। दिन–प्रतिदिन अपने जीवन को गति देने का प्रयास करती महिलाएं अपनी सामाजिक भूमिका को भूल जाती हैं। शिक्षा और सूचना साधनों के आभाव में उन्हें सामाजिक परिवर्तनों का बोध नहीं होता और आत्मश्विास की कमी के चलते वे किसी भी निर्णय और नीति–निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पातीं। स्त्रियों की भागीदारी के अभाव में उत्पन्न लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के प्रभाव से स्त्री साक्षरता में 9.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 1991 की जनगणना के अनुसार पुरूष साक्षरता में हुई वृद्धि (7.75 प्रतिशत) से कही ज्यादा थी। कई राज्यों में महिला साक्षरता दर में वर्तमान कमी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंसतुलन का कारण बनती हैं।

इस नीति के अंतर्गत पंजाब, राजस्थान के सरकारी स्कूलों सहित मणिपुर, दिल्ली मेघालय, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में आठवीं कक्षा तक, बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों सहित, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, मिजोरम और लक्षद्धीप के दसवीं कक्षा तक, सिक्किम के सरकारी स्कूलों सहित अरूणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू–कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, गुजरात, पांडिचेरी और मध्य प्रदेश में बारहवीं कक्षा तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया।

इनके अलावा उच्च शिक्षा में भी महिलाओं को आगे बढ़ने के व्यापक अवसर प्रदान किए गए। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा में महिलाओं का नामांकन कुल प्रतिशत का 41.8 था। तकनीकि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ने के भी व्यापक अवसर प्रदान किए गए।

वर्ष 2001 की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल 1028.6 मिलियन जनसंख्या में 532.15 मिलियन पुरूष और 496.45 मिलियन महिलाएं शामिल थीं। इस जनसंख्या में 560.68 मिलियन शिक्षित लोग थे, जिनमें 336.53 मिलियन पुरूष तथा 224. 15 मिलियन महिलाएं थी। इसके विपरीत 304.11 मिलियन निरक्षर लोगों में 110.63 मिलियन पुरूष तथा 193.48 मिलियन मिलियन स्त्रियां शामिल थी।

तब देश की कुल साक्षरता 64.8 प्रतिशत थी जिसमें पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75.3 प्रतिशत तथा 53.7 प्रतिशत थी, जबकि अशिक्षित लोगों की दर 34.62 प्रतिशत थी इनमें 24.15 प्रतिशत पुरूष तथा 45.85 प्रतिशत महिलाएं थीं।

महिला साक्षरता का स्तर (महिला – पुरूष अंतर 1951 – 2011)

वर्ष	कुल	पुरूष	महिला	अंतर
1951	18.3	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.33	25.07
1971	34.45	45.95	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.23	24.90
2001	64.8	75.30	53.70	21.60
2011	73.0	80.9	64.6	16.30

(संदर्भ – भारतीय जनगणना एवं एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली प्रकाशन)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। महिला साक्षरता दर 8.9 प्रतिशत (जगणना 1951) से बढ़कर 64.6 प्रतिशत (जनगणना 2011) तक पहुंच चुकी है। सरकार महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा 100 प्रतिशत महिला शिक्षा की ओर अग्रसर है।

महिला समाख्या कार्यक्रम

ग्रामीण परिवेश में सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का प्रायः अभाव होता है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाएं शिक्षा के संसाधनों तक अपनी पहुंच नहीं बना पातीं। ग्रामीण संस्कृति, परंपराएं और रूढ़ियों के बंधन भी उनकी शिक्षा में बाधक बनते हैं। ऐसे परिवेश में ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता की सुविधाएं देने के लिए महिला समाख्या कार्यक्रम का गठन किया गया, ताकि हाशिए पर पड़ी निरक्षर महिलाओं का विकास किया जा सके। अन्य शब्दों में शिक्षा द्वारा महिला समानता नामक इस कार्यक्रम को 1989 में डेनमार्क की वितीय सहायता से प्रारम्भ किया गया, बाद में इसके तहत भारत के कुछ राज्यों के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2003–04 से भारत सरकार भी महिला समाख्या कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है और यह कार्यक्रम भारत के ग्यारह राज्यों – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के 130 जिलों के 44,446 से अधिक गांवों तक फैल चुका है।

इस कार्यक्रम का अप्रत्यक्ष उद्देश्य महिलाओं को रूढ़िवादी जीवन से निकाल कर ज्ञान और सूचनात्मक परिवेश में लाना है, जहां वे अपने विकास को पहचान सकें और ग्राम तथा महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का स्वयं निदान कर सकें। कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सकल साक्षरता मिशन, कर्नाटक में देवदासी प्रथा के उन्मूलन, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा उत्तर प्रदेश में पेयजल और अनौपचारिक शिक्षा जैसे विषयों पर

काम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। साथ ही सामाजिक न्याय, बाल सुरक्षा और स्वास्थ्य, ईंधन, घरेलू हिंसा आदि विषयों के प्रति भी महिलाओं में जागरूकता का विकास हुआ है।

सर्व शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

भारतीय संविधान की भावना ''सबके लिए शिक्षा'' के अनुक्रम में भारत सरकार के प्रयासों से 2001 से सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह प्रयास किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे हर हाल में शिक्षा के दायरे में आ जायें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा महिला समाख्या कार्यक्रम का लक्ष्य भी लड़कियों को प्रारम्भिक स्तर पर साक्षर बनाना है। सर्वशिक्षा अभियान और अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य देश के अधिक से अधिक लोगों को साक्षर करना था, जिनमें महिलाओं और लड़कियों पर विशेष रूप से बल दिया गया, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाया जा सके।

भारत की साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़ कर 73 प्रतिशत हो गई। जबकि 1951 में 8.86 प्रतिशत की महिला साक्षरता दर 2011 में 64.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। लड़कियों के प्रति लैंगिक असमानता, सामाजिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति की बजाय घरेलू कामों में लगाने के कारण विद्यालय जाने वाली लड़कियों की संख्या कम थी। इन्हीं सब कारणों का विश्लेषण कर सरकार द्वारा कई नीतियों और परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, ताकि महिला और बालिका साक्षरता दर को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार, द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसे शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम चलाए गए।

किंतु इस दौरान ग्रामीण, पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों की जरूरतमंद महिलाओं की ओर भी व्यापक ध्यान दिया गया तथा कई संक्षिप्त पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमों और योजनाओं के अंग बने। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। विदित है कि शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना के अंतर्गत 15 वर्ष की आयु से अधिक उम्र की स्त्रियों को प्राथमिक, मिडिल, मैट्रिक, माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में सफल बनाने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए मात्र स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आज उच्च शिक्षा को लेकर प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उच्च शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार की योजना हैं जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सफलता की कहानी पर आधारित है।

साक्षरता कार्यक्रमों का प्रभाव

सरकार और समाज कल्याण में कार्यरत गैर सरकारी इकाइयों के क्रांतिकारी प्रयासों का शहरी और ग्रामीण लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शैक्षिक अभियानों ने महिलाओं को नए रूप में विचार करने की योग्यता प्रदान की। साक्षरता कार्यक्रम जहां उनमें पढ़ने–लिखने और जानने की जिज्ञासा पैदा करते हैं, वहीं उनमें अपने समीपवर्ती वातावरण के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। इसी जागरूकता का प्रभाव उनके जीवन के समस्त पक्षों पर भी पड़ता है।

परिवार में महिलाओं की साक्षरता पूरे परिवार की साक्षरता का आधार बनती है और वे अपने घर की लड़कियों को भी साक्षर होने के लिए विद्यालय भेजती हैं। साक्षर महिलाएं शिक्षा का महत्व समझकर उसे अपने परिवार में बढ़ाना चाहती हैं, ताकि उनकी बेटियों को निरक्षरता, उत्पीड़न और निम्न होने का दोष न झेलना पड़े। साक्षरता नारी शिक्षा के साथ–साथ उनके व्यक्तिव को भी निखारती है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके चलते वे अपने पारिवारिक और सामाजिक निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो पाती है। उनमें स्वविवेक का संचार होता है, और वे परिवार में भागीदारी करके अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह करती हैं। यह क्रियाकलाप ही उन्हें परिवार में सम्मान और आदर प्रदान करते हैं। पुरूषों के समान शैक्षिक समानता के अलावा उनमें जेंडर समानता संबंधी निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है, जिसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और परिवार नियोजन संबंधी निर्णय पर होता है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। एक जागरूक, साक्षर तथा सशक्त महिला ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती है और परिवार में आर्थिक योगदान कर सकती हैं। इससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सशक्तीकरण के फलस्वरूप ही वह आर्थिक विषयों पर स्वतंत्र रूप से विचार करती है और आर्थिक स्रोतों तक अपनी पहुंच बनाती है।

किसी निरक्षर स्त्री की तुलना में साक्षर स्त्री की इच्छाशक्ति और इच्छाशक्ति में प्राकृतिक उत्कर्ष पाया जाता है। सशक्तीकरण वास्तव में महिला–पुरूष समानता के विचार को दृढ़ता प्रदान करता है। इससे सामाजिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक सौहार्द में वृद्धि होती है। ग्रामीण शिक्षा के प्रति समितियों जैसी आधारभूत स्तरीय संरचनाओं को बल मिलता है। पर्यावरण के प्रति सजगता और स्वास्थ्य कार्यों के प्रति रूचि बढ़ती है। शिक्षा द्वारा सशक्तीकरण से स्त्री के सबलीकरण को ठोस आधार मिलता है। वह अपने अधिकारों और विकास के प्रति जागरूक होती है। सशक्तीकरण और संगठन की शक्ति से वह बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यालय उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, शराबबंदी जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरूद्व खड़ी हो कर समस्त नारी जाति के गौरव की रक्षा करती है।

शिक्षा संस्थानों का क्रमशः विकास

वर्ष	सीनियर स्तर	उच्च शिक्षा	विश्वविद्यालय
1951	7400	578	27
2017–18	109300	38498	789

(संदर्भ – भारतीय जनगणना एवं एज्यूकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2016 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली प्रकाशन)

तलिका से स्पष्ट है कि हर स्तर के शिक्षा संस्थानों का क्रमशः विकास हुआ है। आज़ादी के पश्चात प्रथम जनगणना में कॉलेजों की संख्या 538 से बढ़कर आज 38498 हो चुकी है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय 27 से बढकर 789 हो चुके हैं।

नमांकन का क्रमशः विकास (लाखों में)

वर्ष	प्राथमिक		उच्च प्राथकिम		सीनियर स्तर		उच्च शिक्षा	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1951	138	54	26	5	13	2	4	0
	676	629	345	327	124	111	185	157

(संदर्भ – भारतीय जनगणना एवं एज्यूकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली प्रकाशन)

इस तरह नामांकन का विश्लेषण करें तो तालिका में देखेगे कि जहां 1951 में प्राथकिम शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं 54 लाख से बढ़कर आज 629 लाख है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उनकी संख्या 5 लाख से 327 लाख हो चुकी है। सीनियर स्तर पर 2 लाख से बढ़कर 111 लाख है। उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन आज़ादी के समय शून्य से बढ़कर 157 लाख तक पहुंच गया है।

स्त्रियों की भागीदारी (प्रति 100 पुरूष के क्रम में)

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	सीनियर	उच्च शिक्षा
1951	39	19	15	13
2014–15	93	95	90	85

(संदर्भ – भारतीय जनगणना एवं एज्यूकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लास 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली प्रकाशन)

तलिका से प्रतीत होता है कि प्रति 100 पुरूष के क्रम में स्त्रियों की भागीदारी प्राथमिक स्तर पर 93 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 95 प्रतिशत, सीनियर स्तर पर 90 प्रतिशत एवं

उच्च शिक्षा स्तर पर 85 प्रतिशत है, जो स्त्री शिक्षा में हुई उतरोत्तर वृद्धि का घोतक है। जनगणना 2011 के अनुसार जेण्डर पेरिटी इन्डेक्स 940 है। अतः इससे स्पष्ट है कि स्त्री एवं पुरूषों का शैक्षिक स्तर में समानता होती जा रही है। वह दिन अब दूर नहीं कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों से आगे बढ़ेगी।

स्त्री साक्षरता और शिक्षा स्त्रियों की शक्ति है। साक्षरता की दृष्टि से स्त्रियों ने भी कदम बढ़ाये हैं। शिक्षण संस्थाओं में उनकी उपस्थिति है। चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की। इससे महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सभी स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में सामान्य पद से उच्च अधिकारी पदों पर काम करने लगी है। अब पायलट बनना तो आम जिज्ञासा बन रही है। अखिल भारतीय परीक्षाओं में स्त्रियों का पुरूषों के मुकाबले प्रदर्शन भी अच्छा हो रहा है। यह बढ़ती साक्षरता की चेतना का ही परिणाम है। मनुष्य का जन्म सहज है, और उसे जैसा वातावरण मिलता है, उसी के आधार पर वह विकसित होता है। स्त्रियों से भी आग्रह है कि ऐसा प्रबुद्ध संस्कार बचपन में ही बच्चों को देवें, जिससे बच्चें बड़े होकर सामाजिक चेतना में अहम भूमिका निभाये।

सशक्त भारतीय स्त्री

भविष्यवाणी ने इक्कीसवीं सदी को ''स्त्री सदी'' के रूप में उद्घोषित किया है। स्त्री नए सिरे से अपने वर्चस्व का परिचय देने के लिए ऊपर आ रही है। स्त्री अधिक समर्थ, कुशल और सुसंस्कृत बनने जा रही है। यह उसके नवजीवन का स्वर्णिमकाल है। भारत में हर क्षेत्र स्त्रियाँ आगे बढ़ने लगी है। इसके इस नुतन परिचय में संकल्पना या संभावना नहीं वरन् सुनिश्चित भवितव्यता की झलक–झाँकी मिलने लगी है।

आज पुरूष के एकाधिकार वाले अधिकतर क्षेत्रों में भारतीय स्त्रियाँ निर्णायक भूमिका में पहुँच रही हैं। कार से लेकर अंतरिक्ष यान तक को संचालित करने का अधिकार कल तक पुरूषों के पास सुरक्षित था, किन्तु 25 वर्षीया तारा क्षेत्री ने प्रथम बार टैक्सी चलाई और सुरेखा यादव ने ट्रेन के इंजन को अपने काबू में कर एक बड़ी चुनौती पेश की। अग्निश्मन, सेना, वायुसेना, पुलिस जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी स्त्रियों की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने के लिए नासा जा पहुंची तो ख़तरों का उत्साह से सामना करने की आदत के कारण पदमावती देश की पहली एयरमार्शल बन गई। 38 वर्षीया मीनाक्षी विजयकुमार ने तमिलनाडु अग्नि बचाव सेवा में मंडल अग्निशमन अधिकारी के रूप में शामिल होकर स्त्रियों को एक नया साहस और प्रेरणा प्रदान की। मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की पहली अधिकारी है। वैज्ञानिक क्षेत्र में कदम रखने वाली

डॉ. इंदिरा हिंदुजा ने 6 अगस्त, 1986 को भारत में सबसे पहले परखनली शिशु के जन्म का करिश्मा कर दिखाया।

सामाजिक नेतृत्व में स्त्रियों की भूमिका बढ़–चढ़कर रही है। सूचना शक्ति की प्रबल पैरोकार अरूणा राय ने सन् 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना की। उन्होंने राजस्थान में सूचना का अधिकार विधेयक पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर में पैदा हुई सैयदत्त हमीद मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने के प्रयास के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करने के लिए सम्भवतः सबसे अधिक सक्रिय स्त्रियों में से एक है। लगभग दो दशकों से ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन की महासचिव वृन्दा करात, करघा, विकलांग और अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों के विकास में कार्यरत है। समाज को समर्पित निर्मला देशपाण्डे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता रही है। वे आदिवासियों और अनुसूचित जातियों की शिक्षा–रोज़गार के लिए कार्यरत रही। राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने के बाद से उनकी विशेष रूचि गरीबों की सेवा और सर्वधर्मसमभाव बनाने में रही। मेघा पाटकर को विस्थापितों का मसीहा कहा जाता है। स्वाश्रयी महिला संघ की प्रमुख इला भटट् ने स्त्रियों की दशा सुधारने में अथक प्रयास किया है। विगत 22 वर्षों से विकास और पर्यावरण के बीच सम्बन्ध पर काम कर रही सुनीता नारायण दिल्ली स्थित 'सेन्टर फोर साइन्स एण्ड एन्वायरमेन्ट' से जुड़ी हुई हैं।

अपने देश में स्त्रियों की एक पूरी पीढ़ी नौकरशाह के शीर्ष पदों पर पहुँच गई है। श्रीमती शशि त्रिपाठी विदेश सेवा की अधिकारी है। किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक पद को सुशोभित करने का गौरव पहली बार मिला कंचन चौधरी भटट्ाचार्य को। श्रीमती बोरवणकर मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा की संयुक्त आयुक्त है। डॉ. पुनीता अरोड़ा देश की पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। भारतीय रेलवे में वित्त आयुक्त के पद पर तैनात श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्वनाथन ने रेल बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लीना मेंहदले राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्य कर चुकी हैं। निरूपमा राव, शोभानारायण, नीना रंजन आदि ने भी प्रशासन के शीर्ष पर आसीन होकर प्रशासन को नया आयाम प्रदान किया है।

आज परम्परा की अकड़न और पश्चिम की आंधी के बीच संस्कृति के क्षेत्र में मौलिक योगदान का श्रेय बहुत कुछ स्त्रियों को जाता है। देश भर में फैली विधि कला–संस्कृति की परम्पराओं को गहराई से परखने और उस पर आलोचनात्मक विचार–विमर्श करने में कपिला वात्सायन की सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 175 पुस्तकों की महान लेखिका महाश्वेता देवी भारत में ही नहीं, पूरे उपमहाद्वीप में गर्व कर सकने लायक नाम है। 'ज्ञानपीठ' और 'साहित्य अकादमी' पुरस्कारों से सम्मानित उर्दू की बहुचर्चित लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर का साहित्य हिन्दुस्तान की सहित्यिक विरासत और वर्तमान के साथ सम्बन्धों का दस्तावेज

है। मंच अभिनेत्री एवं नाट्य निदेशिका उषा गांगुली ने समाज को समकालीन सांस्कृतिक पहचान प्रदान की है। यामिनी कृष्णमूर्ति की भरतनाट्यम को श्रेष्ठ कलाकृति कहा जा सकता है। हिन्दुस्तानी संगीत की किशोरी अमीननकर ने नई दिशा दी है।

किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कम्पनी की चेयरपर्सन देश की सबसे धनी महिला हैं। सुधामूर्ति इंफोसिस कम्पनी की संस्थापक है। रोहिणी नीलमणि के पास 700 करोड़ की पूँजी है। विद्या मोहन छाबड़िया जंबू समूह के कोचेयरपर्सन हैं, जिन्हें 'फॉरच्यूॅन' पत्रिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त महिला उद्यमियों में शामिल किया है। एच.एस.बी.सी. बैंक की चैयरपर्सन नैना लाल किदवई का नाम देश की अग्रणी धनी महिलाओं में शुमार है। इस क्रम में शहनाज हुसैन, प्रिया पाल, प्रीति रेड्डी एवं चंद्रा कोचर (आई.सी.आई.सी.बैंक की अध्यक्ष) का नाम भी आता है। सभी ने अपनी मेघा, कौशल और परिश्रम से अपार सम्पदा को अर्जन किया है। अपने व्यक्तिव और प्रतिभा से शानदार उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिलाओं में बिजनेस वुमेन शोभना भरतिया, सितार वादिका अनुष्का शंकर, फैशन डिजाइनर रितु कुमार एवं रितु बेरी, विख्यात डी.जे मेघा कावले, मोना गरबारे, सुषमा पुरी, नफीसा अली शामिल हैं। महिला खिलाड़ियों ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। अंजु बॉबी जार्ज, अंजलि भागवत, सनिया मिर्जा, अपर्णा पोपट, कोनेरू हंपी, मिताली राज, पी.टी. उषा, डोला बनर्जी, कर्णम मल्लेश्वरी एव के. एम. बीनामोल ने इस प्रकार सूचना–क्रान्ति, भूमंडलीकरण, स्त्री मुक्ति आन्दोलन, समाजसेवा, वैज्ञानिक, राजनीति, पेशेवर क्षेत्र तथा सिनेमा आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के कृत्तित्व ने अपना सम्मानजनक एवं प्रतिष्ठापूर्ण स्थान अर्जित किया है।

भारत के इतिहास में प्रथम बार रियो दी जेनेरियो ऑलम्पिक 2016 में महिला खिलाड़ियों के फ्री स्टाईल कुश्ती में साक्षी मलिक एवं बैडमिन्टन में पी.वी. सिन्धु ने ही पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया।

फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2016 विश्व की 100 सशक्त महिलाओं की सूची जारी की गई जिसमें 04 महिलाएं भारतीय हैं यथा अरूंधति भट्टाचार्य, चेयरपर्सन, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, चंद्रा कोचर, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, किरण मजूमदार, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, शॉ बायोकॉन कम्पनी एवं शोभना भरतिया, चेयरपर्सन एवं सम्पादक निदेशक, एचटी मीडिया। इसी प्रकार अन्य सभी क्षेत्रों में भी महिलाएं सतत प्रगतिशील है।

राजनीति के क्षेत्र में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील, मीरा कुमार, न्यायिक क्षेत्र में जास्टिस रूमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा का नाम सर्वविदित है। अन्य सभी क्षेत्रों में भी अनेकानेक महिलाएं देश का विकास कर रही हैं। शिक्षा

के क्षेत्र में भी बालिकाएं बालकों से बाजी मार रही हैं। आज कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता नहीं है।

राज्यों में सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती वसुन्धरा राजे–राजस्थान, सुश्री ममता बनर्जी–पश्चिम बंगाल, के नाम उल्लेखनीय हैं। लोकसभा अध्यक्ष–श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती सुषमा स्वराज – विदेश मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी – वस्त्र मंत्री, सुश्री उमा भारती – जल संसाधन एवं गंगा विकास मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी – महिला एवं बाल विकास विभाग, सुश्री हर्षित बादल – फूड प्रोसेसिंग मंत्री, सुश्री नजमा हेपतुल्ला–अल्पसंख्यक मंत्री हैं जो देश के विकास में लगातार अपना योगदान दे रही है। इसी प्रकार अन्य सभी क्षेत्रों में भी महिलाएं सतत प्रगतिशील है।

इसके आधार पर यह विश्वास हो सकता है कि पंचायती राज संबंधित 73 वें संविधान संशोधन से करोड़ों महिलाओं का देश में लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है और वह अन्ततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर सकेगा। 73वें संविधान संशोधन के कारण हुई बेटियों (महिला सरपंचों) की सफल कहानियां हमें एक आशा का दीप दिखा रही है। वे बाल विवाह और भ्रूण हत्या रोक रही हैं। छोटे परिवार का चलन चला रही हैं। शिक्षा की अलख जगा रही हैं। इतना ही नहीं वें सड़कों से गांवों को जोड़ती हैं और गांवों में बिजली का प्रकाश फैलाती हैं। हर अधिकारी के साथ संवाद करती हैं ताकि विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। पर साथ ही साथ उनकी भ्रष्टाचार प्रवृति से निलम्बन भी करवाती हैं। वे शराब को गांवों से अलविदा कर रही हैं। आपसी झगड़े आपस में ही निपटारा करने की सफल समझ जगा रही है। ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर गांवों में अतिक्रमण को तोड़ना, शराबबंदी करना, घर–घर में शौचालय बनवाना तथा गरीबी उन्मूलन का प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूह और दीदी बैंको से महिलाओं को अपनी ताकत से गरीबी को मिटाने का संकल्प जगा रही है। इससे भी महत्वपूर्ण काम वो यह करके दिखा रही हैं कि जनता द्वारा चुने जाने के बाद किसी भी राजनीतिक पद पर रहते हुए स्वयं अपने व्यवसाय से आजीविका अर्जन कर जीवन निर्वाह करती हैं। स्वयं झोपड़ी में रहकर गांव वालों को पक्के मकान दिलाती हैं। स्त्री साक्षरता और शिक्षा महिलाओं की शक्ति है। साक्षरता की दृष्टि से महिलाओं ने भी कदम बढ़ाये हैं। आज सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में उनकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा है। चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की। इसके कारण महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सभी स्तर पर सरकारी और गैर–सरकारी नौकरियों में सामान्य पद से उच्च अधिकारिक पदों पर काम करने लगी है। कुछ वर्षों पहले तक महिलाओं का पायलट बनना असंभव सा प्रतीत होता था पर, अब पायलट बनना तो महिलाओं के लिए आम जिज्ञासा की बात बन गई है। अखिल भारतीय परीक्षाओं में महिलाओं का पुरूषों के मुकाबले प्रदर्शन भी अच्छा हो रहा है। यह बढ़ती साक्षरता की चेतना का ही परिणाम है।

क्या हो भावी रणनीति ?

पंचायती राज में स्त्री सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र की सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं में साक्षरता की दर क्रमशः बढ़ रही है। गांवों में भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। गांवों में घूंघट उनकी परम्परा है पर अब इससे भी स्त्री उबर रही है। अब स्त्रियां भ्रूण हत्या को रोकने में सजग हैं। बाल मृत्यु दर भी कम हो रही है। ग्रामीण नेतृत्व पर गौर किया जाए तो ज्ञात होता है कि 30 से 45 वर्ष की श्रेणी में आने वाली स्त्रियां ज्यादा संख्या में निर्वाचित हो काम कर रही हैं। अब वे अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही हैं। धीरे–धीरे स्त्रियों में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमता का विकास होने लगा है।

घर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में स्त्रियां अपने विकास के लिए नित नई संभावनाएं तलाश कर रही हैं और नए समीकरण जोड़ रही हैं। दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, आत्मचिन्तन और कुछ कर दिखाने की ललक से वे उत्साहित हैं। पुरूष प्रधानता वाले समाज में स्त्री अपना अस्तित्व खोज नया स्थान बना रही है। यही कारण है कि 73वें सविधान संशोधन के तहत अब तक ग्रामीण और शहरी निकायों में मिल रही 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग विधायिकी और लोकसभा में भी की जाने लगी है। वस्तुतः 73वें संविधान संशोधन के बाद सफलता के जो कार्य महिलाओं ने किए हैं उनकी सफलता की यह कहानी अन्य महिलाओं की तन्द्रा को तोड़ कर उदासीनता से आगे बढ़ उन्हें उत्साही कार्य करने के लिए जगा सकती है। हम सभी इक्कीसवीं सदी में रह रहे हैं जहां सम्पूर्ण विश्व एक गांव में बदल चुका है। नवोन्मेष का दौर प्रारम्भ हो गया है। अब महिलाएं घर से बाहर जागरूक होकर घर के बाहर सार्वजनिक जीवन में सहभागिता निभाने को छटपटाने लगी हैं।

यह सब इक्कीसवीं शताब्दी के संधिकाल में सम्भव हुआ है। आने वाले दिनों में तो स्त्रियों को अपनी महत्ता का परिचय और भी बढ़–चढ़ कर देना है। करूणा, दया, सेवा, समर्पण, निष्ठा बुद्धि के माध्यम से स्त्री इक्कीसवीं सदी में सुरम्य, सुसंस्कृत एवं उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगी। संविधान ने स्त्री को समुचित स्वतंत्रता, सुरक्षा, संरक्षण, सम्पति प्रदान की है। अब स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों, भारतीय संस्कृति और संस्कारों का मान रखते हुए सम्यक जीवन यापन करते हुए समाज और राष्ट्र का उत्थान करे।

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दें, तो स्त्रियों की वर्तमान स्थिति उत्साहजनक है। ऐसा माना जा सकता है कि सरकार/सामाजिक संस्थाओं/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों को समुचित गति देकर स्त्री शिक्षा को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया जा सकेगा।

शिक्षित करने कर प्रमुख ध्येय स्त्री को मात्र शिक्षित करना नहीं है, बल्कि उनमें इतनी सामर्थ्य और जागरूकता पैदा करना है कि वह स्वयं अपनी अस्तिव का पहचान कर यथासमय अपना विकास कर सके, अपने परिवार को शिक्षित कर सके और देश के भविष्य को शिक्षित कर उसे उज्जवल बना सके।

संदर्भ

- एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस – 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली प्रकाशन ।
- भारतीय जनगणना रिपोर्ट 1951 – 2011।
- डाईस सर्वे 2016–17, वेयर वी स्टैंड? नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजूकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली।
- एम.एन. श्रीनिवास, द चेंन्जिग पोजीशन ऑफ इण्डियन वूमन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बॉम्बे।
- ए.एस.अल्टेकर, द पोजीशन ऑफ वूमन इन हिन्दू सिविलाइजेशन।
- पुष्पा जोशी, गांधी आन वूमन, सेन्टर फॉर वूमनस डेवलपमेन्ट स्टडींज, दिल्ली।
- डॉ. जे. पी. सिंह (2016), आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन।
- सुमन कृष्ण कांत, इक्कीसवीं सदी की ओर – राजकमल प्रकाशन।
- डॉ. राजकुमार, नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।
- जे. सी. अग्रवाल, भारत में नारी शिक्षा, प्रभात प्रकाशन।
- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम।
- Universal Declaration of Human Rights
- Constitution of India – Dr. J.N. Pandey.

''वाक् की स्वतंत्रता एक मूल मानव अधिकार है और उन सभी स्वतंत्रताओं, जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अभिशिक्त किया है की कसौटी है।''

– संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा

New Publication

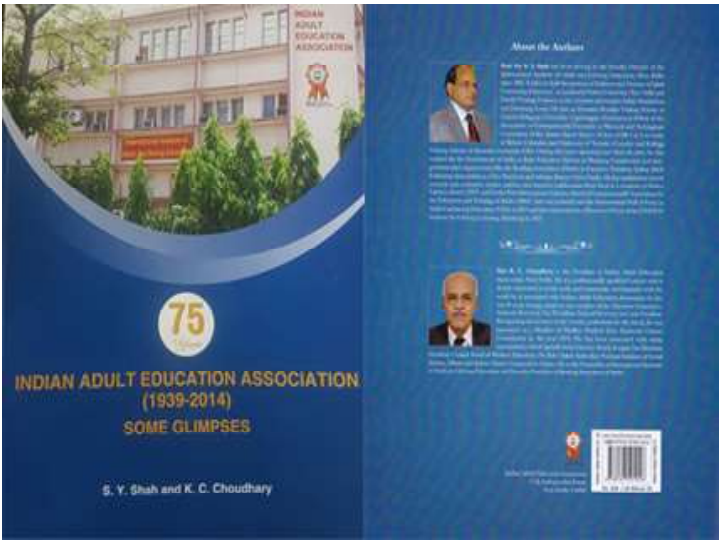

This book is authored by Prof. S.Y.Shah and Shri K.C.Choudhary. It is a coffee table publication of 228 pages with a lot of photographs. It has three parts – Part – I: Origin and Organizational Set-up, Part – II: Glimpses of Select Programmes of IAEA which contains 12 sub-heads (Knowledge Sharing: Conferences, Seminars and Workshops, Knowledge Generation: Research & Evaluation, Capacity Building Programmes: Training, Orientation and Short Courses, Extension and Outreach Programmes, Memorial Lectures: Dr. Zakir Husain, Dr. Robby Kidd and Dr. James A. Draper, Literacy Awards and Honours, Advocacy and Networking, International Links, International Institute of Adult and Lifelong Education, Reading Association of India, Amarnath Jha Library and National Documentation Centre and Publications: Books, Journals and Newsletters) and Part – III which contains 7Annexure (List of Past Presidents, Vice Presidents, Secretaries and Treasurers, Album of Key Persons who served IAEA, List of All India Adult Education Conference, List of Evaluation Studies, Recipients of Nehru Literacy Award, Recipients of Tagore Literacy Award and List of Publications).

हमारे लेखक

रूपाली गुप्ता
पूर्व शोध छात्रा
प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग
हे.न.ब.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय
श्रीनगर, गढवाल
उत्तराखण्ड

वीरेन्द्र जैन
मकान नं0 844 निकट फिनिक्स स्कूल
स्कीम नं0 114, विजय नगर
इन्दौर, मध्य प्रदेश – 452 010